न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 401
दायरा तिथि : 21.10.2024
आदेश तिथि : 17-03-2025
प्रार्थी :–

MGRAS REBORT & SPA PRIVATE LIMITED जरिये आर्यन अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी शास्त्री सर्कल उदयपुर

व ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 17-03-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 246 / 1 रकबा 0.2700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 448 / 1371 रकबा 0.1800 हैक्टर तथा राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा नंबर 251 रकबा 2.1300 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक / राजस्व / 2024 / 2556 दिनांक 14.11.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सिवायचक भूमि के बीच में से रास्ता प्रस्तावित किया है। जिससे तहसीलदार बाली से सिवायचक भूमि के किनारे से रास्ता प्रस्तावित करने हेतु पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक / राजस्व / 2025 / 552 दिनांक 25.02.2025 से रिपोर्ट के संदर्भ में खसरा नंबर 251 के दोनों तरफ बड़ा पहाड / मगरा स्थित होने के कारण खसरे के किनारे किनारे रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार बाली की पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी खसरा नंबर में आवागमन हेतु वर्तमान में प्रस्तावित खसरों से ही आना जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	251	2.1300 हैक्टर	गै.मु. पत्थर	42X9.10=383 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि भू.अ. निरीक्षक बेड़ा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 163504 / – रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/401

अनवान MGRAS REBORT वगैरा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 246/1 रकबा 0.2700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/552 दिनांक 25.02.2025 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांकप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 246/1 रकबा 0.2700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 251 रकबा 2.1300 हैक्टर में से **378 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 163504/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
251	2.1300 हैक्टर	42X9=378 वर्गमीटर	17	6426X2=12852	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 12852/- (अक्षरे बारह हजार आठ सौ बावन रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(विनीत बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 18/03/2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/236-240

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक MGRAS REBORT & SPA PRIVATE LIMITED जरिये आर्यन अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी शास्त्री सर्कल उदयपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

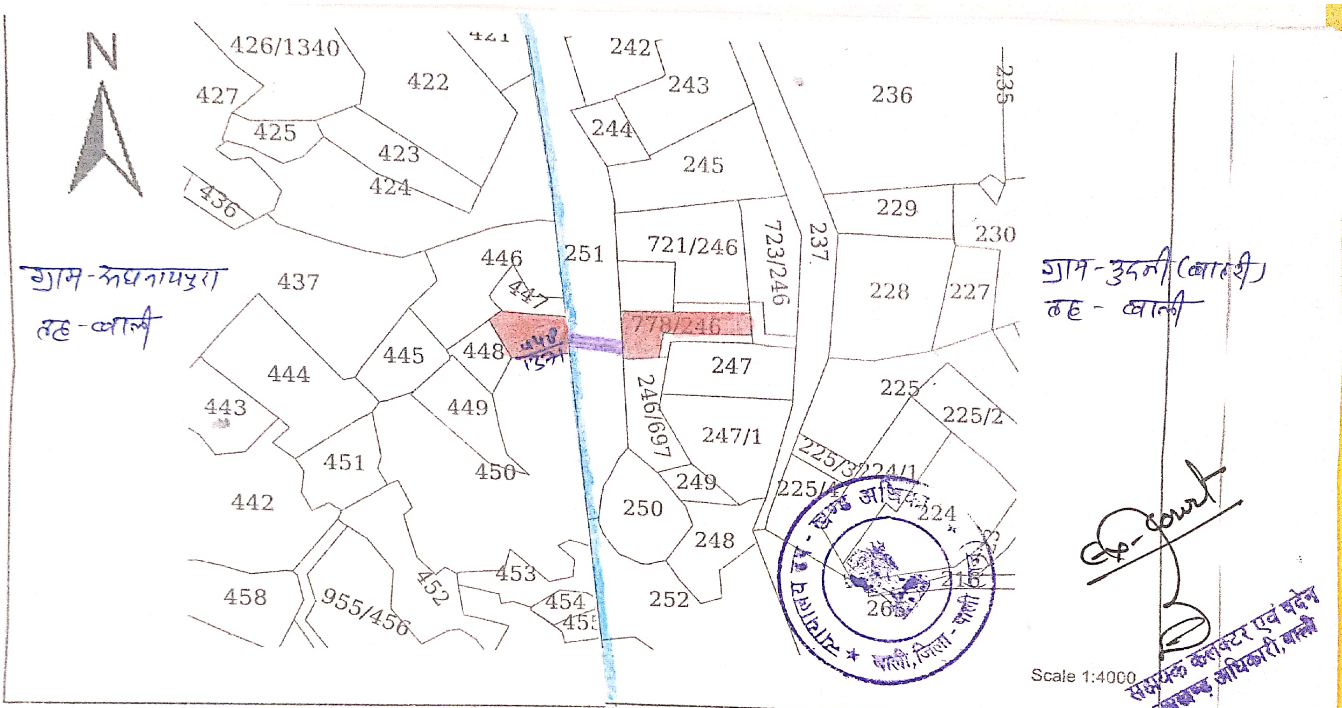

- आवेदक की खातेदारी भूमियां ग्राम-उदनी (बाहरी) व ग्राम ऊधनापुरा।
- प्रस्तावित रास्ता
- ग्राम ऊधनापुरा व ग्राम उदनी (बा.) की सीमा।

तहसीलदार, बाली

ILR-बेड़ा

Scanned with CamScanner